

सरकूलर नं0ः अपमा/2018-2020/171

# "कोरोना वायरस(COVID-19) के सन्दर्भ में"

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसको महामारी घोषित कर दिया है। और खेल गतिविधियों, सम्मेलनों, सेमिनारों पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघरों को भी 31 मार्च 2020 तक बन्द करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। क्योंकि ऐसे आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और मौजूदा समय में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इतनी संख्या में लोगों का एक साथ जुटना खतरे से खाली नहीं हैं।

साथियों, कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, साफ—सफाई एवं सावधानी बरतने से इससे बचा जा सकता है जिसके लिए सरकार ने दिशा—निर्देश जारी कर दिये है यदि फिर भी किसी में इसके लक्षण दिखाई देते है तो तुरत इसकी जांच करवाएं, इसका इलाज संभव है।

बन्धुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ऑटो पार्ट्स का व्यापार पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है और अब कोरोना वायरस के डर से बाहर के व्यापारी कम आ रहें हैं। पहले हमारा स्वास्थ्य है, फिर उसके बाद बाकी हम सब है। इस वक्त हम सबको इस महामारी से मिलकर लड़ने की सख्त आवश्यकता है, सावधानी बरते, जितना संभव हो सके, भीड़ में जाने से बचें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें।

कृ0प0उ0.....2

दिनांक: 14-3-2020

## कोरोना वायरस के लक्षण: -

- सिर दर्द होना, ऑखें लाल होना, साँस लेने में तकलीफ होना, छींक आना
- खाँसी होना, बुखार होना, किडनी फेल होना।

# कोरोना वायरस कैसे फैलता है: -

- यह कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के जरिए फैलता है।
- खुली हवा में खासने तथा छींकने से।
- नजदीकी व्यक्तिगत सम्पर्क जैसे कि छूना या हाथ मिलाना।
- किसी संक्रमित वस्तु या सतह को छूना।
- बिना हाथ घोए अपने नाक, मुंह या आँखों को छूना।

#### कोरोना वायरस के बचाव : —

- खाँसने और छींकने के वक्त अपनी नाक व मह को रूमाल से अवश्य ढकें।
- गंदे हाथों से आँख, नाक अथवा मुँह को ना छूऐं।
- अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित घोयें।
- किसी को मिलने के दौरान ना तो गले मिले ना ही हाथ मिलायें।
- भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।
- पलू से संक्रमित व्यक्ति से एक हाथ तक की दूरी बनाए रखें।
- पर्योप्त मात्रा में पानी / तरल पदार्थ पियें और पोषक आहार खाएं।
- सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें।
- इस्तेमाल किए हुए नेपिकन, टिशू पेपर इत्यादि को कूड़ेदान में डालें।
- पलू से संक्रमण का संदेह हो तो चिकित्सक के परामर्श से ही दवाएं लें।

### राज्य व जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के नंबर :

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा निदेशालय - 011-22307145, 22300012, 22300036 उत्तर जिला दक्षिण–पश्चिम जिला **- 011–27708768** - 011-25066674 दक्षिण जिला दक्षिण-पूर्व जिला - 011-29531277 - 011-26476410 पूर्व जिला उत्तर–पूर्व जिला **— 011—22050908, 22051234** - 011-22115289 नई दिल्ली जिला पश्चिम जिला - 011-25195529 - 011-23385743 उत्तर–पूर्व जिला सेंट्रल जिला - 011-23270151 - 011-25951182 शाहदरा जिला - 011-22111077

सम्बंधित जानकारी के लिए 24x7 कंट्रोल रूम के निम्न नम्बरों पर संपर्क करें – 011–22307145, 011–22300012, 011–22300036

सरकूलर नं0 अपमा/2018-2020/172

# ''अपमा निःशुल्क डिस्पेन्सरी में दवाओं का वितरण''

सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि 01 मार्च से 14 मार्च, 2020 तक जिन दानदाताओं ने अपमा निःशुल्क चिकित्सालय में जरूरतमंद मरीजों के इलाज एवं दवाईयों हेतु 3100/— रूपये का आर्थिक सहयोग दिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:—

01. श्री रामनाथ चुघ जी मै0 वंदना ऑटोमोबाइल्स(इंडिया), 1243/10, प्रथम तल, छोटा बाजार, कश्मीरी गेट, दिल्ली—110006 ने अपनी धर्मपत्नी स्व0 श्रीमती संतोष चुघ जी एवं श्री राकेश चुघ जी ने अपनी स्वर्गीय माताजी की सातवीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में।

अपमा प्रधान एंव समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवगंत आत्मा को शान्ति दें तथा उनके परिवार को सुख, समृद्धि व खुशहाली प्रदान करें एवं अपने समस्त परिवार एवं प्रियजनों सहित सदैव स्वस्थ, निरोग, प्रसन्नसित रहते हुए दीर्घायु को प्राप्त करें।

> ( विनय नारंग ) महासचिव